

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण

:- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-:: वादिया ::-

बनाम

-:: प्रतिवादीगण ::-

कुनीदेवी पुत्री घीसाराम

गुमनाराम पुत्र घीसाराम वगै.

मु0न0 :रा0वा0स0: 39/2024

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....व

हाजरी श्री देवाराम कटारिया व श्री प्रद्युम्न श्रीमाली अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री इस आशय की सादिर की जाती है कि वादिया व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः वादिया वाद को जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का निवेदन किया है अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए RTA जरिये विड्रोल व NOT Press खारिज किया जाता है। वकील वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .

...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.10.2024 को जारी

किया गया।


मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर(राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुखायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00		स्टाम्प वकालतनामा	3.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	2.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	5.00		मुत्फरिक	0.00	
					15.00
मिजान:-	10.00		मिजान:-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।



सहायक क. (फास्ट ट्रेक) जैतारण